संख्या- 15/502/बयालिस-2016-17(कालेज)/2007

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2016**

विषय :- जनपद फतेहपुर में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 495/नि0 फतेहपुर स्पोर्टस कालेज पत्रा0/2015-16, दिनांक 31 जुलाई, 2015 एवं पत्र संख्या- जी0- 1255/नि0 फतेहपुर स्पो0का0/2015-16, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा शासनादेश संख्या- 53/942/बयालिस-2015-17(कालेज)/2007, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 8961.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 करोड़ मे से वित्तीय वर्ष में कम समय को दृष्टिगत रखते हुए रू0 1188.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1188.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति उपलब्ध परीव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों को पूर्ण कराते हुए उपयोगी स्तर पर लाया जाये।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप खेल विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकार एवं सक्षम लोकल आथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(5)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(6)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत वाट आउट आइटम्स पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(8)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(9)- लेबर सेस का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- प्रायोजनान्तर्गत मूल शासनादेश संख्या- 3660/बयालिस-2010-17(कालेज)/2007, दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्या- 53/942/बयालिस-2015-17(कालेज)/2007, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्ष " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-04-स्पोर्टस कालेज, फतेहपुर-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 15/502(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- सचिव, स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
9- क्रीड़ाधिकारी, फतेहपुर।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद फतेहपुर में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत
01-	प्रशासकीय भवन, एकाडमिक भवन एवं स्पोर्टस मेडीशिन सेन्टर	740.34
02-	छात्रावास भवन (250 क्षमता)	1010.44
03-	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अतिरिक्त कक्षा का निर्माण	31.79
04-	गार्ड रूम 2 नग	3.43
05-	वाटर सप्लाई	61.44
06-	स्टार्म वाटर ड्रेन	36.33
07-	सीवर	36.39
08-	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	111.99
09-	आन्तरिक रोड एवं पाथवे तथा कल्वर्ट	61.99
10-	स्ट्रीट लाईटिंग 50 नग	81.54
11-	ओ0एच0टी0 400 कि0ली0 क्षमता 1 नग	42.00
12-	कार्टेज मिट्टी भराई का कार्य	265.00
13-	डीप ट्यूबवेल	44.50
14-	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	39.74
15-	मेन गेट	32.29
16-	मेन कैम्पस में बाउण्ड्रीवाल	269.51
17-	मेल ड्रेन	41.49
	कुल योग :-	**2910.21**
18-	आकस्मिक व्यय 2 प्रतिशत	22.63
	कुल योग :-	**2932.84**
19-	5 प्रतिशत की कमी	146.64
	कुल योग :-	**2786.20**
20-	सेन्टेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	348.17
21-	लेबर सेस	27.85
22-	सर्विस टैक्स 5.8 प्रतिशत	56.37
23-	वाहय विद्युत संयोजन	50.00
24-	इनवायरमेन्टल, प्रदूषण क्लीयनिसरेस	7.50
25-	सोलर स्ट्रीट लाईट 15 नग	13.43
26-	11/0.44 सब स्टेशन, इनर्जी सेवर प्लाटफार्म इत्यादि कार्य	62.39
27-	11 के0वी0 सब स्टेशन हेतु 1000 के0वी0ए0 11/0.433 के0वी0 ट्रान्सफार्मर 1 नग	12.00
	कुल योग :-	**3363.91**

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in